

DCP	
Addl. DCP-I	
Addl. DCP-II	
ACP/HQ	
Insp./Ad. सेवा में	

NO. 166/APPRAISAL/RTI/IS⁺AA/NED

01/8/17

Dr. No. 7783/G.D./NE

dt. 31-7-17

144/17
01/8/17

HAX
HAP
HAG
HAE
Accit.
SIP
HAC
HACR
SO/PA
HAA
Dossier

श्रीमान मोसीपी साहब उ०पू० जिला दिल्ली/जनसूचना अधिकारी

विशय जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र।

श्रीमान जी प्रार्थी निम्न सूचना सूचनाअधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त करना

चाहता है।

श्रीमान निवेदन है कि दिनांक 19-07-2017 लेटर न० 3753 आर०टी०आई० सेल मुझे

प्राप्त हुआ। मैं अपने प्रार्थना पत्र में एफ०आई०आर० न० 87/17 धारा 302 थाना जाफराबाद

को सिद्धि में मालूम किया था कि मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। मक्तूल मेरे दोस्त

मीनू का बेटा है मैंने अपनी गवाही इस मुकदमे के जांच अधिकारी को थाना जाफराबाद में

तहरीरी तौर पर लिख कर दी थी। मैंने आर०टी०आई० द्वारा यह मालूम किया था कि

चार्जशीट में गवाह के खाने में मुझे रखा गया या नहीं लेकिन मेरी आर०टी०आई० के जवाब में

मेरे सवाल का जवाब नहीं। इस लिए मैं आपकी सेवा में 30 दिन के अन्दर अन्दर अपील कर

रहा हूँ। मुझे सही जवाब दिया जाये। और चार्जशीट की एक कॉपी मुहैया कराई जाये।

अतः प्रार्थना है कि उक्त सूचना सूचनाअधिकार अधिनियम में वर्णित निहित अवधि में

प्रार्थी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रार्थी

दिनांक - 28-7-2017

सलग्न भारतीय पोस्टल आर्डर

न० 36F 533221 अंकन 10 रूपये

मौलाना डॉ० इशरत जलाल खॉ

5-पीर वाली गली निकट पुराना थाना

गोकलपुरी दिल्ली-94

मोबाईल : 8010019444

DEPOL/R/2017/16425

OFFICE OF THE PUBLIC INFORMATION OFFICER, NORTH EAST DISTRICT,
SEELAM PUR: DELHI-110053 (Ph. No. 22829388).

No. 778 /RTI Cell/North-East District Dated Delhi, the 23/07 /2017.
To

Molana Dr. Ishrat Jalal Khan
S/o Captain Mohd. Yusuf Khan
5, Peer wali Gali, Near P.S. Old Gokul Puri,
Delhi-110094.

Subject:- Seeking information under RTI Act - 2005.

Memo

In response to your application dated 22.06.17 received in this office vide RTI No. 1830/17, dated 27.06.17 on the subject cited above. It is to inform you that the requisite information as asked under RTI and as per reply received from SHO/Jafrabad/NED. charge sheet of case FIR No. 87/17 P.S. Jafrabad, Delhi has been filed in court and the same is pending trial. Hence, the requisite information cannot be provided in view of Section 8 (1) (h) of RTI Act-2005 as it will impede the process of the trial of the case.

Your present RTI application is hereby disposed off.

You can file an appeal within 30 days if you have not satisfied with the above reply to the 1st Appellate Authority i.e. under RTI Act 2005 before the Dy. Commissioner of Police/North-East District, Seelam Pur, Delhi-110053.

(GIRRAJ SINGH)

PUBLIC INFORMATION OFFICER-CUM-
ADDL. DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE
NORTH-EAST DISTT. DELHI